न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code – UP1893
आपराधिक स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं०–311/2026
कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 578/2026
(CNR No: UPGZ010070802026)

सरकार.....बनाम.....नितिन शर्मा आदि

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र का निस्तारण

दिनांकः15–07–2026

1– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण शिकायतकर्ता मीना उर्फ मीनू सैनी पत्नी श्री युगल चंद्र चौधरी द्वारा दायर जमानत निरस्त करने से सम्बंधित है, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो कोर्ट सं० 2 के समक्ष विचाराधीन है। यह अत्यंत प्रासंगिक व आवश्यक है कि शिकायतकर्ता के पति श्री युगल चंद्र चौधरी वर्तमन में एटा में अतिरिक्त सिविल जज(सी०डि०) के पद पर तैनात हैं और उन्होंने न्यायिक सेवा के दौरान दिनांक 07–07–2022 से 28–04–2023 तक जिला एवं सत्र न्यायालय प्रयागराज में वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूनम द्वितीय के साथ कार्य किया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में आवेदक क मन में यह वास्तविक, उचित और तर्कसंगत आशंका उत्पन्न हुई है कि शिकायतकर्ता के पति और वर्तमान पीठासीन अधिकारी के बीच व्यक्तिगत व सौहार्दपूर्ण सम्बंधों के कारण वर्तमान कार्यवाही के निर्णय में निष्पक्षता और न्यायसंगतता प्रभावित हो सकती है। अग्रेतर यह भी कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में पहले ही एक आदेश पारित कर आगे की कार्यवाही/मुकदमे पर रोक लगा दी है, हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, निष्पक्ष सुनवाई एवं न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मामले को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। निवेदन किया गया है कि मु०अ०सं० 20/2025 महिला थाना गाजियाबाद से सम्बंधित वाद को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो कोर्ट सं० 2 के न्यायालय से वापस लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

2– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के सम्बंध में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट) कोर्ट सं० 02 गाजियाबाद के पीठासीन अधिकारी की आख्या आहूत की गई। सम्बंधित न्यायालय के प्रभारी पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि वाद सं० 407/2025 मु०अ०सं० 20/2025 सरकार बनाम नितिन शर्मा आदि धारा–64 (1),61(2),351(2),123,115(2),352,351(1),78,74 बी०एन०एस०उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कि शिकायतकर्ता के पति श्री युगल चंद्र चौधरी अपनी न्यायिक सेवा के दौरान दिनांक 07–07–2022 से 28–04–2023 तक प्रयागराज उ०प्र०की जिला एवं सत्र अदालत में मौजूदा पीठासीन अधिकारी के साथ तैनात रहे हैं तथा उनके साथ काम किया है और शिकायतकर्ता के पति श्री युगल चंद्र चौधरी और मौजूदा पीठासीन अधिकारी के बीच व्यक्तिगत, सामाजिक व पेशेवर सम्बंधों के कारण मौजूदा कार्यवाही में न्याय प्रभावित हो सकता है तथा उक्त आधार पर उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की याचना की गयी है। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि न्यायिक अधिकारी,विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)कोर्ट सं० 2 अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने के सम्बंध में कोई आख्या दिया जाना संभव नहीं है।

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.07.16 16:31:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पीठासीन अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया।

4– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि शिकायतकर्ता के पति श्री युगल चंद्र चौधरी अपनी न्यायिक सेवा के दौरान दिनांक 07–07–2022 से 28–04–2023 तक प्रयागराज उ०प्र०की जिला एवं सत्र अदालत में मौजूदा पीठासीन अधिकारी के साथ तैनात रहे हैं तथा उनके साथ काम किया है और सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के बीच व्यक्तिगत, सामाजिक व पेशेवर सम्बंधों के कारण मौजूदा कार्यवाही में न्याय प्रभावित हो सकता है तथा उक्त आधार पर उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की याचना की गयी है। यद्यपि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में किए गए तथ्यों के दृष्टिगत बिना किसी ठोस एवं तथ्यात्मक साक्ष्य के अभाव में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथापि न्याय हित में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5– उपरोक्त परिस्थितियों में वाद सं० 407/2025 मु०अ०सं० 20/2025 सरकार बनाम नितिन शर्मा आदि धारा–64 (1),61(2),351(2),123,115(2),352,351(1),78,74 बी०एन०एस० की पत्रावली को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कोर्ट सं० 02 गाजियाबाद के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं० 2 गाजियाबाद के न्यायालय में विधिसम्मत निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनां15.07.2026